झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 05.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0	साहेबगंज जिला के शहरी क्षेत्र अन्तर्गत कुल रकवा 1421 एकड़ भूमि खासमहाल के अन्तर्गत आता है। राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 17.09.2019 के मद संख्या- 09 के रूप में यह स्वीकृति दी गयी कि खासमहाल भूमि को फीहोल्ड किया जाएगा तथा सरकार के गजट में इस संबंध में खासमहाल भूमि की प्रकृति को अन्य भूमि के हेतु रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गयी, परन्तु साहेबगंज शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले खासमहाल भूमि की आजतक रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी है। साथ ही राजस्व में भी व्यापक असर पड़ रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए सरकार साहेबगंज जिला के शहरी क्षेत्र अन्तर्गत भूमि से खासमहाल, जिसे समाप्त किया जा चुका है, उक्त भूमि का रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करायी जाय, जिस ओर मैं ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	राजस्व एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
02-	श्रीमती पूर्णिमा निरज सिंह स0वि0स0 श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0	धनबाद जिला के शहरी क्षेत्र अन्तर्गत कार्यरत सहियाओं तथा सहिया साथियों को वर्ष जून, 2018 में शहरी क्षेत्र का हवाला देते हुये काम से हटा दिया गया था। अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-658 (MD), दिनांक-10.07.2018 द्वारा शहरी क्षेत्र के प्रभावित सहियाओं को पूर्व के भाँति यथावत् कार्य पर रख लिया गया। परन्तु शहरी क्षेत्र में कार्यरत 29 सहिया साथियों में से सिर्फ 16 लोगों को ही पूनः कार्य पर रखा गया। अतः धनबाद शहरी क्षेत्र के प्रभावित शेष 13 सहिया साथियों को पूनः काम पर रखते हुये सहियाओं तथा सहिया साथियों का वर्ष जून 2015 से सितम्बर, 2018 (कुल 39 माह) तक का लंबित प्रोत्साहन राशि भुगतान करने सम्बंधित अति महत्वपूर्ण विषय के समाधान हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
03	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0 डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0 श्री बंधु तिर्की स0वि0स0	राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से गरीब, छात्र अपनी पढ़ाई को जारी रख सके इस हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर उनके रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गयी है। लेकिन सारे छात्रावासों की व्यवस्थायें चरमरायी हुई है। पेयजल की व्यवस्था, पुस्तकालय, वाचनालय, रसोईघर एवं रसोईया, खेलकूद, सोने एवं पढ़ने हेतु फर्नीचर आदि की उपलब्धता नहीं है। छात्रावास के भवन भी जीर्ण-शीर्ण हैं। कई महाविद्यालयों में तो पिछड़ी एवं सामान्य छात्रों हेतु छात्रावास की भवनों की भी कमी है जिस कारण छात्रों को बाहर प्राईवेट भवनों में किराये की बड़ी रकम देकर रहना पड़ता है। इस कमी को सरकार अविलम्ब दूर करे ताकि छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कमजोर वर्ग कल्याण

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
04-	श्री विकास कुमार मुंडा स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के छोटानागपुर में खतियान में दर्ज लोहार/लोहरा शब्द जाति के रूप में अंकित है जिसके कारण छोटानागपुर के किन्हीं-किन्हीं अंचलों में इस पिछड़ी जाति के रूप में एवं किन्हीं-किन्हीं अंचलों में इसे अनुसूचित जनजाति के रूप में मानकर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। खतियान में दर्ज लोहरा/लोहार शब्द में विभेद नहीं करते हुए उन्हें सिर्फ अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्रदान कर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की ओर मैं सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
05	श्री रामदास सोरेन स0वि0स0	राज्य के वैसे सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सैकड़ों विद्यार्थी जो अन्य राज्यों के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत है उन्हें राज्य सरकार से मिलनेवाली Stipend वर्ष 2017 से बन्द कर दी गई है जिसके कारण उक्त सभी विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्क देने में असमर्थ है। साथ ही सैकड़ों विद्यार्थियों का पठन-पठान बाधित होने के साथ-साथ उक्त विद्यार्थियों का शैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्र सम्बंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा जब्त कर ली गई है जिससे सभी विद्यार्थियों को काफी कठिनाई हो रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा।	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कमजोर वर्ग कल्याण

रॉची,
दिनांक- 05 मार्च, 2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-...756.../वि0 स0, राँची, दिनांक-04/03/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कमजोर वर्ग कल्याण विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/20

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-...756.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 04/03/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

4/3/20

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

04.03.2020

सुभाष/-